मीडिया सेल

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ –226001

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक व निजी स्थानों से अब तक कुल 85,54,068 प्रचार सामग्री हटायी गयी

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अब तक विभिन्न धाराओं में 871 एफआईआर दर्ज

अब तक लगभग 55.01 करोड़ रूपये से अधिक का कैश बरामद

अब तक 31.06 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 10,94,070 लीटर मदिरा एवं 31.15 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 9583 किग्रा ड्रग्स जब्त

लखनऊ : दिनांक : 06 फरवरी, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिये सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 85,54,068 प्रचार सामग्री हटायी गयी है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 64,15,366 एवं निजी स्थानों से 21,38,702 प्रचार सामग्री हटायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सार्वजनिक स्थानों से वाल राइटिंग के 4,44,410 पोस्टर के 28,25,219 बैनर के 20,82,021 तथा 10,63,716 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी है। इसी प्रकार निजी स्थलों से वाल राइटिंग के 1,94,940 पोस्टर के 9,50,535 बैनर के 6,11,712 तथा 3,81,515 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग एवं आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 55.01 करोड़ रूपये से अधिक का कैश बरामद किया गया है, जिसमें से लगभग 10.25 करोड़ रुपये का कैश आज बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 31.06 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 10,94,070 लीटर मदिरा जब्त की गयी हैं। इसी प्रकार नारकोटिक्स एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 31.15 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का 9583 कि0ग्रा0 ड्रग्स जब्त किया गया है, जिसमें से 6.26 लाख रुपये से अधिक मूल्य का 19.22 किग्रा0 ड्रग्स आज जब्त किया गया।

———————————————————